राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

No. 07/पी.आई./2023/ दिनांक : 25.07.2023

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ सिविल रिट पिटीशन संख्या 4689/2016, जिला अभिभाषक संघ बांसवाडा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में निर्णय दिनांक 26.04.2023 के अनुसरण में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावेदार को प्रतिकर के शीघ्र भुगतान के संबंध में निम्नलिखित मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित की जाती है।

01. दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिये अन्तिम सुनवाई के समय दावेदारों को प्रतिकर राशि के प्रभाजन पर सुना जाकर अधिनिर्णय में ही प्रभाजन किया जाकर दावेदारों को मिलने वाली राशि में, अवयस्क का हित निहित नही होने की दशा में, संदाय सीधे ही दावेदारों के बचत खाते में किया जावे तथा उसकी सूचना बीमा कम्पनी द्वारा अधिकरण को दी जावे इस क्रम में दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय में दावेदार के बैंक व खाते की विशिष्टियों का उल्लेख किया जावे।

02. अधिनिर्णय के अनुसार राशि को दावा अधिकरण में जमा करवाये जाने पर, राशि के जमा होने की सूचना संबंधित पक्षकारों को दिये जाने का बाध्यकारी दायित्व बीमा कम्पनी/अप्रार्थी का होगा। दावा अधिकरण, बीमा कम्पनी/अप्रार्थी द्वारा अवार्ड राशि अधिकरण के बैंक खाते में जमा किये जाने हेतु मानक प्रारूप प्रयोग में लेंगे। बैंक में राशि के जमा करवाने की सूचना दावेदारों व उसके अधिवक्ता को दिये जाने के माध्यम व ऐसी सूचना दिये जाने की तिथि के स्पष्ट अंकन, बीमा कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता द्वारा दावा अधिकरण को भुगतान की सूचना के साथ प्रतिवेदित की जावे।

03. दावा अधिकरण के लिपिक द्वारा अवार्ड पारित होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही के संबंध में कालक्रम के अनुसार निम्न निर्धारित प्रारूप में अभिलेख संधारित किया जाएगा।

प्रकरण संख्या	शीर्षक	अवार्ड की तिथि	अवार्ड राशि	अवार्ड राशि के अधिकरण में जमा होने की तिथि	अवार्ड राशि के जमा होने की बीमा कम्पनी/अप्रार्थी द्वारा दावेदार अथवा उसके अधिवक्ता को सूचना की तिथि	अधिकरण द्वारा दावेदारों को सूचित करने की तिथि	भुगतान के कम में अधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही (संक्षिप्त रूप में)	भुगतान छः सप्ताह में दावेदारों को नही किये जाने की दशा में कारण (संक्षिप्त रूप में)

04. जहाँ दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित मामलों में 90 दिन की अवधि में बीमा कंपनी द्वारा अपील किया जाना बीमा कम्पनी/अप्रार्थी द्वारा दावा अधिकरण को लिखित में प्रतिवेदित नहीं किया गया हो, वहां दावा अधिकरण द्वारा वसूली का प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा बीमा कंपनी के बैंक खातों से वसूली का अधिकार, दावा अधिकरण का होगा। इस क्रम में

25/7/2023

बीमा कम्पनी/अप्रार्थी के जवाब के अभिकथन में बीमा कम्पनी/अप्रार्थी के बैंक खातें की विशिष्टियों को उल्लेखित किया जावेगा।

05. बीमा कम्पनी द्वारा राशि जमा करवाये जाने के छः सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान दावेदारों को दावा अधिकरण द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। छः सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान नही किये जाने की दशा में, दावा अधिकरण कारण अभिलिखित करते हुए राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रकरण के नाम से सावधि जमा के रूप में 90 दिन के लिये जमा रखा जाकर, दावेदारों को भुगतान देने के लिये दावा अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये जाकर, उनकी उपस्थिति संबधित क्षेत्र के पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा करवाई जावे। थानाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दावेदारों को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित कर उनकी पहचान करें। जिन मामलो में प्रतिकर राशि के दावा अधिकरण में जमा होने या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी दावेदार की मृत्यु हो जाती है तो अधिकरण में ऐसी जमा राशि के संबंध में मृतक की सम्पदा पर स्वामित्व के संबंध में प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाकर छः सप्ताह की अवधि में ऐसी राशि का भुगतान विधिक प्रतिनिधि को किये जाने की कार्यवाही की जावे।

06. ऐसे प्रकरण जिनमें बीमा कम्पनी अथवा अप्रार्थी, लोक अदालत या राजीनामा से अधिनिर्णय के लिये सहमत होते हैं, वहाँ दावेदारों के बचत खाते, आधार कार्ड व पेन कार्ड से संबंधित दस्तावेज की प्रतियाँ अभिलेख पर होने की दशा में उन प्रकरणों में जहाँ अवयस्क का कोई हित निहित नही हो वहाँ भुगतान तत्समय ही दावेदारों को सीधे बचत खाते में आर.टी.जी. एस./नेफ्ट से अंतरित किया जाकर ऐसे भुगतान/अंतरण की दावा अधिकरण को सूचना बैंक प्रविष्ठि के साथ सूचित की जावे। जिन मामलों में अवयस्क का हित निहित हो, उन मामलों में, दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि को सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से सावधी जमा के निर्देश अवार्ड में ही दिये जाकर ऐसे अवयस्क के जीरो बेलेन्स बचत बैंक खाता खोले जाने के निर्देश बैंक को दिये जावे।

07. दावा अधिकरण में प्रस्तुत होने वाले प्रतिकर के प्रार्थना पत्र में, दावेदार के सामान्य तौर पर अधिवास या गृह स्थल के निकटतम क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा या डाक घर के खाते की विशिष्टियाँ, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये जावे।

08. जिन मामलों में दावा अधिकरण में भुगतान योग्य राशि अब तक बिना भुगतान के अ–दावाकृत पड़ी है, उनमें दावेदारों अथवा दावेदारों के विधिक प्रतिनिधि की पहचान की कार्यवाही की जाकर 90 दिन के भीतर ऐसी अ–दावाकृत राशि का भुगतान किया जावे तथा दावेदारों अथवा दावेदार की मृत्यु की दशा में विधिक प्रतिनिधि की पहचान के लिये दावा अधिकरण के साथ सहयोग व समन्वय के लिये संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को बाध्य किया जा सकता है।

09. जिन मामलों में दावेदारों अथवा दावेदारों के विधिक प्रतिनिधि की पहचान 90 दिन के भीतर नहीं हो सकी हों, तब ऐसी राशि को सावधि जमा के रूप में अधिकतम 3 वर्ष के लिए जमा रखा जाकर, इस अवधि में ऐसी राशि के संबंध में किसी दावेदार के न होने की दशा में राशि को तोषण निधि में अन्तरित किया जावे।

10. बीमा कंपनी द्वारा अवॉर्ड की राशि अधिकरण में जमा करवाए जाने की सूचना आवश्यक रूप से अविलंब दावेदार के अधिवक्ता को दी जावें। दावेदार द्वारा अवॉर्ड राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के 07 दिन के भीतर अधिकरण द्वारा अवॉर्ड राशि का भुगतान दावेदार को किया जाना सुनिश्चित किया जावें। 07 दिन के भीतर दावेदार का भुगतान नही होने की स्थिति में अधिकरण द्वारा उसके कारण अभिलिखित किए जावे।

11. धारा 171 मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकरण द्वारा अवॉर्ड पारित करते समय आवेदन की तिथि से ब्याज दिलाया जाता है। अवॉर्ड पारित होने के बाद यदि अवॉर्ड राशि जमा करवाने की सूचना, अधिकरण में दावेदार के अधिवक्ता को या दावेदार को देने में विफल रहे, तब वास्तविक भुगतान तक का ब्याज बीमा कंपनी दावेदार को देने के दायित्वाधीन होगी। जहां दावेदार/दावेदार के अधिवक्ता को जब सूचना दी जाये तब से ब्याज देय नहीं होगा। जहां सूचना देने के 30 दिन की अवधि में दावेदार की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं हो, तब अधिकरण द्वारा राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में 06 माह के लिए रखा जावे जिसे वास्तविक भुगतान तक नवीनीकृत किया जा सकता है।

12. यदि प्रतिकर राशि पाने का कोई भी दावेदार, अधिकरण में किसी भी कारण से आने में असमर्थ हो, तो उसके प्राधिकार पर सह–दावेदार को उक्त दावेदार का चैक दिया जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि सह–दावेदार द्वारा इसका दुरूपयोग नहीं हो एवं राशि का भुगतान हकदार दावेदार के खाते में ही हो।

13. कई बार मामले का अभिलेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा मांगा जाता है, तो उन मामलो में अधिकरण को सभी आदेश-पत्रों/निर्णय की फोटो कॉपी अपने पास रखी जावें ताकि प्रतिकर राशि का भुगतान करते समय यदि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में लंबित हो तो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से अभिलेख वापिस मंगवाने की आवश्यकता न हो। मामले के निपटारे के पश्चात, भुगतान के विवरण के साथ उक्त फोटो कॉपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जा सकता है।

14. प्रतिकर राशि के भुगतान के संबंध में प्रक्रियात्मक मामलों में किसी भी अन्य परिस्थिति में, न्यायालय नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार जनरल

No. Gen/XV/82/2022/1578 Date: 05.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(i) रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय।

(ii) समस्त निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधिपतिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर पीठ, जयपुर।

(iii) रजिस्ट्रार (रिट्स), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर को उनके यू.ओ. नोट दिनांक 07.09.2022 एवं 05.05.2023 के क्रम में।

(iv) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

(v) निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।

(vi) समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रति को उनके न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायाधीश, मोटर दावा अधिकरण को प्रेषित करावे।

रजिस्ट्रार जनरल

5/7/2023